न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मोहन सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 217/12 (वाद)

1. सुश्री शांता पुत्री मदनलाल गाडरी जरिये संरक्षक माता श्रीमती कन्नी पत्नी मदनलाल गाडरी निवासी डिंगरक्या तह. मावली।
2. सुश्री रेखा पुत्री मदनलाल गाडरी जरिये संरक्षक माता श्रीमती कन्नी पत्नी मदनलाल गाडरी निवासी डिंगरक्या तह. मावली।
3. सुश्री मन्जु पुत्री मदनलाल गाडरी जरिये संरक्षक माता श्रीमती कन्नी पत्नी मदनलाल गाडरी निवासी डिंगरक्या तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री मदनलाल पिता रोशनलाल गाडरी निवासी डिंगरक्या तह. मावली।
2. सुश्री लीला पिता लेहरू गाडरी ना.जरिये प्राकृतिक वली श्रीमती नारायणी पत्नी स्व. रोशनलाल गाडरी निवासी डिंगरक्या तह. मावली।
3. श्री वगता पिता जेता गाडरी निवासी डिंगरक्या तह. मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली। .....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री घनश्याम पालीवाल, अधिवक्ता वादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 26.08.2019

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा डिंगरक्या पटवार क्षेत्र महुडा की आराजी नम्बर 620, 621, 622, 623, 630, 632, 640, 657, 658, 662, 674, 675, 692, 694, 952/530, 957/772, 982/566, 984/641 किता 18 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में स्व. लेहरू व प्रतिवादी सं. 1 मदनलाल व वगता पिता जेता के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 तक वाद पत्र के साथ पेश हैं।
2. हम वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 से 3 का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

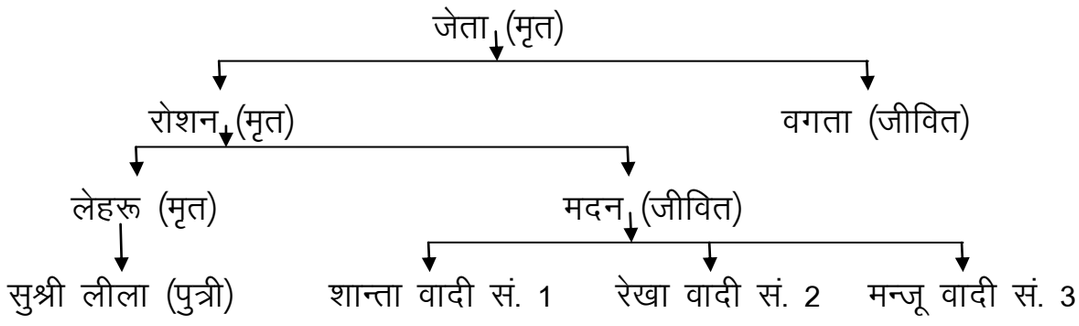

वादीयां मदनलाल जी की पुत्रीयां हैं।

3. वादपत्र में वर्णित आराजीयात हम वादीगण की पैतृक सम्पति है और वादीगण के पिता को उक्त कृषि भूमि वादीगण के दादाजी स्व. रोशनलाल जी से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है और पैतृक कृषि भूमि होने से वादीगण को वाद में वर्णित आराजीयात में जन्म से ही हिस्सा प्राप्त हो गया है और वादीगण अपने नाम पर 3/16 हिस्सा घोषित कराने व बंटवारा कराने की अधिकारी हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि में उसका हिस्सा विक्रय करने की धमकीयां देता है और वादीगण की माता व उनको खाने पिने के लिए नहीं देता है इसलिए वादीगण अपना हिस्सा घोषित कराकर बंटवारा करानी चाहती हैं।
4. वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 मदनलाल को उक्त संयुक्त खातेदारी व कब्जे की आराजीयात को वादीगण के नाम पर करवाने एवं बंटवारा कराने के लिए दिनांक 05.07.2012 को मौखिक रूप से निवेदन किया इस पर प्रतिवादी सं. 1 मदनलाल इन्कार हो गया और वादीगण को व उनकी माता को गाली गलोच करने लगा व जान से मारने की धमकीयां दी। इसलिए वादीगण उक्त संयुक्त खातेदारी व कब्जे की आराजीयात की घोषणा व बंटवाडा करवाना चाहती हैं।
5. वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद कारण दिनांक 05.07.2012 को उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अतः प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की घोषणा डिक्री जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात जो हम वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है उक्त भूमि में हम वादीगण को 3/16 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार हम वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड खेवट खतौनी जमाबन्दी में अंकन कराया जावे और उक्त भूमि का बंटवाडा धारा 53 राज.टि.एक्ट के तहत् मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कराया जावे और वादीगण के हिस्से बंटवाडे में आयी कृषि भूमि का कब्जा दिलाये जाने की डिक्री प्रदान कराई जावें।
6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई।

7. वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्रीमती कन्नी पत्नी मदनलाल गाडरी का पेश किया। वादी द्वारा दस्तावेज नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1 पेश की।

8. प्रकरण में अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा नजीर हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 6 जा.दी. का प्रस्तुत कर प्रकरण में बंटवाडे की दाद को ड्रॉप किया जाकर घोषणा की दाद को स्वीकार कर दावा डिक्री किया जाने का निवेदन किया।

9. हमने पत्रावली का अवलोकन किया दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस पर बगौर मनन किया। वादग्रस्त भूमि को वादीगण द्वारा अपनी पैतृक भूमि बताया जो वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 वादीगणों के पिता के नाम दर्ज हैं। उक्त भूमि वादीगण के दादा रोशनलाल के समय से चली आ रही है जो रोशनलाल के विरासत से वादी के पिता/प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हुई हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत सजरे अनुसार मूल पुरूष जेता जी हुए जिनके दो पुत्र रोशन व वगता जी हुए जिनमें रोशन की मृत्यु होने से उनके वारिस लेहरू व मदन हुए, लेहरू की मृत्यु होने से उसकी वारिस लीला होकर प्रतिवादी सं. 2 हैं। मदन वादीगण का पिता होकर प्रतिवादी सं. 1 हैं। चूंकि वादग्रस्त भूमि प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से वादीगण की पैतृक सम्पति होना जाहिर आता हैं। वादीगण नाबालिग होकर वादीगण की माता कन्नीबाई द्वारा जरिये संरक्षक के रूप में वाद प्रस्तुत किया हैं। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर होने से प्रतिवादी सं. 1 सम्पूर्ण भूमि को विक्रय करने पर आमादा हैं, यदि भूमि विक्रय कर देता है तो वादीगण के प्रभावों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादीगण के माता के साथ लडाई झगडा व वादीगणों को भरण पोषण नहीं करने से वादीगण की माता द्वारा एक मुकदमा न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, मावली के यहां प्रस्तुत किया जिसके मुकदमा नम्बर 168/2011 होकर प्रकरण में दिनांक 09.10.2013 को निर्णय होकर प्रतिवादी सं. 1 को 2500/– रूपये प्रतिमाह भरण पोषण के भी आदेश पारित हूए हैं। चूंकि प्रतिवादी सं. 1 वादीगण का पिता होकर वादीगणों को भरण पोषण भी नहीं कर पा रहा हैं। जिस कारण से वादीगण की माता ने न्यायालय से दाद प्राप्त की हैं। भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज

हैं। ऐसी स्थिति में यदि प्रतिवादी सं. 1 भूमि को विक्रय कर देता है तो वादीगणों को अपने हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा। वादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत् भी वादग्रस्त भूमि में अपना हक अधिकार रखती हैं। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पैतृक होने से अपने हिस्सेनुसार भूमि अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। वादीगण द्वारा बंटवाडें की दाद नहीं चाहने से बंटवाडे की दाद को ड्रॉप की जाती हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा डिंगरक्या पटवार क्षेत्र महुडा की आराजी नम्बर 620, 621, 622, 623, 630, 632, 640, 657, 658, 662, 674, 675, 692, 694, 952/530, 957/772, 982/566, 984/641 किता 18 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि में वादीगण को संयुक्ता रूप से हिस्सेनुसार 3/16 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2019 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास मोहन सिंह, आर.ए.एस.

उनवान्

1. सुश्री शांता पुत्री मदनलाल गाडरी जरिये संरक्षक माता श्रीमती कन्नी पत्नी मदनलाल गाडरी निवासी डिंगरक्या तह. मावली।
2. सुश्री रेखा पुत्री मदनलाल गाडरी जरिये संरक्षक माता श्रीमती कन्नी पत्नी मदनलाल गाडरी निवासी डिंगरक्या तह. मावली।
3. सुश्री मन्जु पुत्री मदनलाल गाडरी जरिये संरक्षक माता श्रीमती कन्नी पत्नी मदनलाल गाडरी निवासी डिंगरक्या तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री मदनलाल पिता रोशनलाल गाडरी निवासी डिंगरक्या तह. मावली।
2. सुश्री लीला पिता लेहरू गाडरी ना.जरिये प्राकृतिक वली श्रीमती नारायणी पत्नी स्व. रोशनलाल गाडरी निवासी डिंगरक्या तह. मावली।
3. श्री वगता पिता जेता गाडरी निवासी डिंगरक्या तह. मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 217/12 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मोहन सिंह R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है किः–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा डिंगरक्या पटवार क्षेत्र महुडा की आराजी नम्बर 620, 621, 622, 623, 630, 632, 640, 657, 658, 662, 674, 675, 692, 694, 952/530, 957/772, 982/566, 984/641 किता 18 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि में वादीगण को संयुक्ता रूप से हिस्सेनुसार 3/16 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26.08.2019 को जारी की गई।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली